हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

अष्टम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 82

शुक्रवार, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

11.00AM

1. **प्रश्नोत्तरः**

(I) **तारांकित प्रश्नः**

तारांकित प्रश्न संख्या 2133 से 2137, 2139, 2140, 2060 व 2142 से 2147 तक के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। माननीय सदस्य की अनुपस्थिति के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 2138 और 2141 के उत्तर सभा पटल पर रखे समझे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 2148 से 2167 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्या 930 से 957 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

12.00 PM

2. कागज़ात सभा पटल परः

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 (वित्त लेखे, खण्ड-I एवं खण्ड-II), हिमाचल प्रदेश सरकार;

(ii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 (विनियोग लेखे), हिमाचल प्रदेश सरकार;

(iii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014(राज्य के वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार;

(iv) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014(राजस्व क्षेत्र), हिमाचल प्रदेश सरकार;

(v) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम), हिमाचल प्रदेश सरकार; और

(vi) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 (सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम), हिमाचल प्रदेश सरकार ।

(2) **श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड का चौथा वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित);और

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 ।

2(क).

(i) कृषि औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम 4) की धारा 45 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर का वार्षिक परीक्षित लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (विलम्ब के कारणों सहित);

(ii) कृषि औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम 4) की धारा 45 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर का वार्षिक परीक्षित लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (विलम्ब के कारणों सहित);

(iii) कृषि औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम 4) की धारा 45 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर का वार्षिक परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (विलम्ब के कारणों सहित);

(iv) कृषि औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम 4) की धारा 45 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर का वार्षिक परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (विलम्ब के कारणों सहित);

(v) कृषि औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम 4) की धारा 45 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (विलम्ब के कारणों सहित);

(vi) कृषि औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986(1987 का अधिनियम 4) की धारा 45 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (विलम्ब के कारणों सहित);

(vii) कृषि औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम 4) की धारा 45 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(viii) बीज़ अधिनियम, 1966 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य बीज़ एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण अभिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 ।

(3) **श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री** ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम के वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2011-12 की प्रति सभा पटल पर रखी ।

12.02 PM

मंत्री द्वारा वक्तव्य

दिनांक 9.4.2015 को श्री जय राम ठाकुर, सदस्य द्वारा उठाए गए विषय कि उनके क्षेत्र में सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के माध्यम से रेत मिला नमक स्पलाई किया जा रहा है पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री ने वक्तव्य दिया।

12.06 PM

मंत्री द्वारा सूचना

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने सदन को सूचना दी कि केन्द्रीय टीम जिस के सदस्य श्री जगत प्रकाश नड्डा भी थे और जिनसे अनुरोध किया गया था कि हमारे जो तीन मैडिकल कॉलेज भारत सरकार ने मंजूर किए है

उनके लिए 31 मार्च से पहले एक किश्त जारी कर दें तो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश को पहली किश्त के रूप में इन तीन मैडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 12.53 करोड़ की राशि जारी की है।

12.12 PM

3. विधायी कार्यः

(I) सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

(i) माननीय मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 11) पुरःस्थापित हुआ।

(ii) माननीय मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 12) पुरःस्थापित हुआ।

(iii) माननीय मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा(सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 13) पुरःस्थापित हुआ।

(II) <u>सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण</u>

(i) **माननीय मुख्य मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 11) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।
खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।
खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय मुख्य मंत्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 11) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 11) पारित हुआ।

(ii) **माननीय मुख्य मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 12) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।
खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।
खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय मुख्य मंत्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 12) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 12) पारित हुआ।

(iii) **माननीय मुख्य मंत्री** ने प्रस्ताव किया हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 13) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।
खण्ड 2 से 6 तक विधेयक का अंग बने।
खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय मुख्य मंत्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा(सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 13) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा(सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 13) पारित हुआ।

12.20 PM

4. <u>नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेखः</u>

श्री कृष्ण लाल ठाकुर, सदस्य के दो विषय तथा श्री महेश्वर सिंह, सदस्य का एक विषय नियम 324 के अन्तर्गत उठाए गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए।

12.45 PM

5. नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा :

श्री रणधीर शर्मा तथा श्री कुलदीप कुमार ने "दिनांक 20 मार्च, 2015 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 1646 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा की।"

माननीय आबकारी एवं कराधान मंत्री ने उत्तर दिया।

श्री रणधीर शर्मा, सदस्य ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय आबकारी एवं कराधान मंत्री ने स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

01.05 PM

सभा का स्थगन

सत्र की समाप्ति पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने उद्‌गार इस प्रकार प्रकट किएः-

अध्यक्ष महोदय, आज इस विधान सभा का बजट सत्र अंतिम चरण पर पहुंच गया है। इसमे कई बैठकें हुई हैं, अनेक विषयों के ऊपर चर्चाएं हुई हैं, प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं और डिबेट भी हुए हैं, बिल भी पास हुए हैं। कुल मिला कर इस सत्र में इस माननीय सदन का माहोल बहुत अच्छा रहा है। खट्टी मीठी बातें तो होती ही रहती हैं। खासकर जब विधायकगण बाहर मिलते है तो वह बहुत मीठे होते हैं। मगर जब इस सदन में मिलते हैं तो खटास-मिठास, दोनों चीजें सामने आ जाती हैं। कुल मिलाकर में कह सकता हूँ कि यह सत्र काफी सफल रहा है और मैं सभी माननीय सदस्यों को इसके लिए बधाई देता हूं। सत्र के दौरान सदन की गरिमा कायम रही, उसके लिए भी सभी बधाई के पात्र हैं। इसी के साथ, अध्यक्ष महोदय, आपने अध्यक्ष के रूप में और उपाध्यक्ष महोदय ने उपाध्यक्ष के रूप में जब-जब वह आपकी गैर मौजूदगी में पीठासीन हुए, इस सदन का बहुत अच्छी तरह से, शालीनता के साथ, बड़े सब्र के साथ संचालन किया है। इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं।"

इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से, हमारे जो विधायक है, मंत्रिगण हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, मैं सबको इस सत्र की सफलता के लिए बधाई देना चाहता हूं। यहां

पर जो हमारे कर्मचारी हैं, आपकी विधान सभा के कर्मचारी हैं, जो वहां पर आपका स्टॉफ है, वह भी इस सत्र में बहुत मशगूल रहे, बिजी रहे, देर रात तक काम करते रहे, इन्होंने दक्षता के साथ अपना कार्यभार निभाया है, वह सब भी बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद।

प्रतिपक्ष के नेता माननीय प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी की अनुपस्थिति में प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक श्री सुरेश भारद्वाज ने अपने विचार इस प्रकार रखेंः-

अध्यक्ष महोदय, जनतंत्र में पक्ष और विपक्ष जनतंत्र रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। इस गाड़ी का अगर एक भी पहिया पंक्चर हो जाए या लगा न हो तो जनतंत्र रूपी गाड़ी चल नहीं पाती। माननीय मुख्य मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि यह सत्र बहुत सफल रहा है। मैं इनकी भावनाओं से सहमत हूं। मेरे ख़याल से इस सत्र में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर ,फिर बजट पर और उसके बाद जो मांगों पर चर्चा हुई है, उसकी चर्चा में जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है ,यह अपने आप में अगर एक रिकॉर्ड नहीं तो पहले के किसी रिकॉर्ड की बराबरी है। काफी बड़ी संख्या में रखे गए प्रश्नों के जो उत्तर आए हैं उनमें भी माननीय सदस्य लोगों की भावनाओं के अनुरूप यहां पर विचार व्यक्त कर सके हैं। इस सत्र में जो हाऊस के अंदर खटास और मिठास की बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है ,मैं समझता हूं कि अगर यह बात नहीं होगी तो विधान सभा या लोकसभा इत्यादि संस्थानों की आवश्यकता ही नहीं होगी।

अगर यह नहीं होगी, तो इस प्रकार की विधान सभा या लोक सभा इत्यादि की आवश्यकता ही नहीं होगी। फिर तो दफ्तर में बैठकर राजतंत्र में या तानाशाही या किसी प्रैजीडैन्शियल सिस्टम में काम करेंगे ,तो उस प्रकार से सारा सिस्टम चलेगा। लेकिन जब लोकतंत्र होगा, उसमें अलग-अलग विचार होंगे और अलग-अलग विचारों के होते हुए भी प्रदेश की प्रगति में सब एक रास्ते पर चलें। उसमें वे अपनी बात कहेंगे, सुझाव देंगे ,तो सरकार उसमें से बहुत से सुझाव मानती है ,जो उनको ठीक लगते हैं कि हमको ये सुझाव मानकर काम करना है जिससे प्रदेश की प्रगति होगी ,उससे इस सदन की

गरिमा भी बढ़ती है। चाहे विपक्ष में कोई व्यक्ति हो, तो उसकी बात को भी सुना जाता है ,उसकी बात को सुनकर उसके सुझावों के आधार पर सरकार को आगे चलाया जाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि बहुत सारी चीजें अलग-अलग विषयों पर यहां कही गई हैं। नियम-130 के अन्तर्गत भी चर्चाएं थीं, शायद बहुत सारी चर्चाएं नहीं भी आई होंगी ,बहुत सारे नोटिस हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अथवा नियम-130 के अन्तर्गत दिए हैं ,जो शायद समयाभाव के कारण या अन्य कारणों से चर्चा के लिए नहीं लग पाए हैं ,लेकिन उनके नोटिस सरकार को चले गए हैं और मैं समझता हूं कि सरकार उनको भी ध्यान में रखकर उनमें जो करने योग्य काम होगा जो सरकार को करना है ,वह अवश्य उसमें करेगी। इसमें किसी भी प्रकार का जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि बाहर सब मिल-जुलकर रहते हैं और लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबी है कि हम अपनी-अपनी बात दृढ़ता के साथ अपने विचारों के आधार पर सदन के अंदर करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर किसी प्रकार की रंजिश या दुश्मनी आपस में नहीं रखी जाती है। जो भी बात यहां चाहे मजाक में की जाए या तलखी से बात की जाए, वह इस दरवाजे से बाहर जाकर समाप्त हो जाती है क्योंकि सबका लक्ष्य एवं उद्देश्य इस प्रदेश की प्रगति या इस प्रदेश का विकास है। उसके लिए हम सब काम करते हैं। इस अवसर पर जो पीठासीन व्यक्ति होता है ,अध्यक्ष या माननीय उपाध्यक्ष हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेवारी बहुत ज्यादा हो जाती है और कई बार उनको कड़वे निर्णय भी करने पड़ते हैं जिससे शायद हम लोग सहमत न हों। लेकिन यह जो उनका काम है उसके अन्तर्गत इस प्रकार की चीजें भी कई बार करनी पड़ती हैं और अध्यक्ष महोदय, आपने इस सत्र को बखूबी चलाया है। उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और आपको बधाई भी देता हूं। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय को भी बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने भी आपकी अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही बहुत अच्छे प्रकार से चलाई है और इनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अपने दल की ओर से जो पीठासीन अधिकारी हैं उनमें वैसे मैं भी हूं, लेकिन मुझे तो मौका नहीं मिलता क्योंकि मैडम (श्रीमती आशा कुमारी) उपस्थित रहती हैं। इन्होंने सबसे पहले दिन ही एक सत्र में प्रैजाइड किया है, इसलिए मैं इनका भी बहुत-बहुत

धन्यवाद करता हूं और सदन का संचालन बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए इनको बधाई भी देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधान सभा सचिवालय के सचिव और इनके सारे जो अधिकारी एवं स्टाफ मेंबर्ज हैं ,उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि कार्य संचालन में सदस्यों को जिस प्रकार की भी आवश्यकता पड़ी , उसमें इन्होंने पूर्ण सहयोग दिया है। विशेष रूप से ई-विधान प्रणाली के अंतर्गत हमारे प्रदेश का विधान सभा का सदन चल रहा है और मैं समझता हूं कि इस बार बहुत अच्छे तरीके से अधिक सदस्यों ने इसका उपयोग किया है। एक नए डोंगल के रूप में हमें जो वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराई है और मोबाईल एप एपलीकेशन जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने नया इन्ट्रोडियुज किया है उसके लिए मैं विशेष रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय को और विधान सभा सचिवालय को बधाई देना चाहता हूं। इसके अलावा हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि किसी भी प्रदेश में जनतंत्र हो ,हम सब यहां चर्चाएं करते हैं ,अपने सुझाव देते हैं ,लेकिन उसका वास्तविक क्रियान्वयन अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बाकी सभी अधिकारी उसमें काम करते हैं उन्होंने भी बखूबी इस सत्र के दौरान जो सहयोग किया है ,उसके लिए इनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके अतिरिक्त मैं विशेष रूप से जो हमारे सिक्योरिटी के लोग हैं जो दूर-दूर से आते हैं और सारे विधान सभा सत्र के दौरान काम करते हैं, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं इस अवसर पर विशेष रूप से, क्योंकि लोकतंत्र में चौथा स्तम्भ मीडिया को कहा जाता है। हमारी एग्जैक्टिव, लैजिस्लेचर और ज्युडिशरी के अतिरिक्त मीडिया लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। बहुत सारी चीजें तो ऐसी होती हैं जो सदन में हम, जो मीडिया उठाता है, उनके आधार पर ही यहां उठाते हैं। उनकी जानकारी कई बार हमसे ज्यादा होती है। चाहे इलैक्ट्रोनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे हमारे फोटोग्राफर्ज हों या उनके साथ काम करने वाले अन्य कर्मी हों, उन्होंने भी इस सत्र को चलाने में जो सहयोग दिया और हमारी बात को आम जनता तक पहुंचाने का काम किया, उसके लिए इनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं एक बार फिर से सरकार का,

अधिकारियों का, आपका और सब माननीय सदस्यों का इस अवसर पर बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। बैसाखी का पर्व आने वाला है, उसके लिए मैं आपको और प्रदेश की जनता को बहुत-बहुत शुभ-कामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय भारत।

माननीय अध्यक्ष ने बजट सत्र की समाप्ति पर अपने उद्‌गार इस प्रकार व्यक्त किएः-

आज सत्र का समापन होने जा रहा है और बजट सत्र समाप्ति की ओर चल रहा है। इस सत्र में कुल 22 बैठकें आयोजित हुईं। यह सत्र दिनांक 11 मार्च, 2015 को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के साथ आरम्भ हुआ। दिनांक 12 मार्च, 2015 को इस सदन में अनुपूरक बजट प्रथम एवं अंतिम किस्त वित्तीय वर्ष 2014-15 का प्रस्तुतीकरण किया गया। तदुपरान्त राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चार दिन तक चर्चा चली। दिनांक 18 मार्च, 2015 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत किए। बजट पर चार दिन तक चर्चा हुई जो लगभग 15 घण्टों चलती रही। इस चर्चा में 42 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। दिनांक 23 मार्च, 2015 को स्व0 श्री सागर चन्द नैयर जो भूतपूर्व मंत्री एवं सदस्य इस सदन के थे, के निधन पर सदन में शोकोद्‌गार प्रकट किए गए। दिनांक 27 मार्च, 2015 से 31 मार्च, 2015 तक वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु मांगों पर चर्चा एवं मतदान हुआ एवं मांगों को पारित किया गया। तदुपरान्त विनियोग विधेयक पुरःस्थापित एवं पारित किया गया। सत्र के दौरान माननीय सदस्यों ने चर्चा के माध्यम से प्रदेशहित के अनेक मसलों पर बहुमूल्य सुझाव भी दिए। हमेशा की तरह इस बार भी प्रश्नकाल अधिक रोचक रहा, जिसमें कुल-मिलाकर 677 तारांकित प्रश्न एवं 210 अतारांकित प्रश्नों की सूचना पर सरकार द्वारा उत्तर उपलब्ध करवाए गए। नियम 101 के अंतर्गत चार गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत हुए जिसमें से तीन संकल्पों पर सार्थक चर्चा की गई तथा एक संकल्प का प्रस्ताव प्रस्तुत कर इसे चर्चा हेतु आगामी सत्र के लिए स्थगित किया गया। नियम-61 व 62 के अन्तर्गत क्रमशः 1 व 6 विषयों पर चर्चा की गई। विधायी कार्य में 13 लोक महत्व के सरकारी विधेयक भी सभा में पुरःस्थापित, चर्चित एवं पारित हुए। नियम-130 के अन्तर्गत प्रदेश हित से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा हुई तथा बहुमूल्य सुझाव दिए गए। नियम- 324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से 16

विषय सभा में उठाए गए तथा सरकार द्वारा वस्तुस्थिति बताई गई। इसी सत्र के दौरान विधान सभा की समितियों ने भी 32 मूल प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत एवं उपस्थापित किए जिनके लिए इनके सभापति बधाई के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रियों द्वारा भी अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित दस्तावेज सभा पटल पर रखे गए, वे भी बधाई के पात्र हैं। पूर्व की भान्ति इस बार भी मेरा यह भरसक प्रयास रहा है कि सत्र की कार्यवाही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चले जिसके लिए मैं काफी हद तक आप सभी के सहयोग से विशेष कर सदन के नेता व विपक्ष के नेता के सहयोग से सफल भी रहा जिसके लिए मैं आप सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं। माननीय सदन के नेता श्री वीरभद्र सिंह जी का विशेष तौर पर धन्यवादी हूं जिन्होंने इस सदन के संचालन में मुझे पूर्ण सहयोग और मार्ग दर्शन दिया। सदन के अपने सहयोगी उपाध्यक्ष, विधान सभा श्री जगत सिंह नेगी का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस सत्र में काफी हद तक मुझे सहयोग दिया। सभापति, श्रीमती आशा कुमारी जी, जिन्होंने सत्र के दौरान इस सभा को भी सुशोभित किया, उनका भी धन्यवाद करता हूं।

सदन के संचालन में सरकार व विधान सभा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिन-रात सेवाएं दी, वे सभी प्रशंसा के पात्र हैं। प्रिन्ट तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के बन्धुओं ने सदन की कार्यवाही को आम जनता तक पहुंचाने में जो भूमिका निभाई, वे भी बधाई के पात्र हैं। इस सत्र के दौरान माननीय सदस्यों एवं सरकारी स्तर पर ई-विधान प्रणाली का भरपूर उपयोग किया गया जिसमें ई-विधान स्टाफ ने भी सराहनीय योगदान दिया, वे भी प्रशंसा के पात्र हैं। माननीय सदस्यों से 168 तारांकित व 59 अतारांकित प्रश्न ऑनलाइन प्राप्त हुए जो कि उत्साहवर्द्धक है।

इससे पूर्व कि मैं सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करुं, इस सभा में उपस्थित सभी से मेरा निवेदन है कि वे राष्ट्रीय गीत के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

(राष्ट्रीय गीत गाया गया)

अपराह्न 1.30 बजे सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई ।